अध्याय-III : अवसंरचना का निर्माण

शिक्षा मंत्रालय (पहले मा.सं.वि.मं.) की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में प्रावधान किया गया कि नए भा.प्रौ.सं. प्रत्येक लगभग 500 से 600 एकड़ क्षेत्र का आवासीय संस्थान होने चाहिए। इनमें से प्रत्येक भा.प्रौ.सं. के परिसर में छात्रों, संकाय एवं कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्र होने चाहिए। भा.प्रौ.सं. के परिसर में अतिथि गृह, स्वास्थ्य सुविधाएं (प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्लिनिक), बैंक सुविधा सहित छोटे शॉपिंग सेंटर, खेल सुविधाएं, डाक सुविधाएं, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विवाहित छात्रों के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भा.प्रौ.सं. को पूर्ण रूप से प्रयोगशाला उपकरण और कंप्यूटिंग उपकरण से सुसज्जित किया जाना था।

सभी आठ भा.प्रौ.सं. ने अपनी गतिविधियाँ स्थायी परिसरों में स्थानांतरित होने से पूर्व अस्थायी/पारगमन परिसर से प्रारम्भ कर दी। स्थायी परिसरों को दो चरणों में विकसित किया जाना था।

3.1 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और नमूना चयन

इस लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, लेखापरीक्षा ने पांच साल की अवधि वर्ष 2014-19 के दौरान आठ भा.प्रौ.सं. द्वारा की गयी अवसंरचना के निर्माण के संबंध में (i) भूमि आवंटन/उपलब्धता (ii) संबंधित भा.प्रौ.सं. द्वारा निर्माण क्रियाकलापों को चरणबद्ध तरीके से योजना बनाना (iii) चरण-वार निर्माण क्रियाकलापों का निष्पादन और (iv) उपकरणों की आपूर्ति और प्रतिस्थापन का निरीक्षण किया।

लेखापरीक्षा ने यह आंकलन किया कि क्या उपरोक्त (ii) से (iv) तक में उल्लिखित क्रियाकलापों को मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता से किया गया था।

प्रत्येक भा.प्रौ.सं. द्वारा वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान निष्पादित कुल कार्यों/प्रापण अनुबंधों से लेखापरीक्षा परीक्षण के लिए नमूने लिए गए थे। वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान आठ भा.प्रौ.सं. द्वारा निष्पादित सभी कार्यों/प्रापण अनुबंधों की संख्या से लिए गए कुल नमूने *तालिका 3.1* के अनुसार थे।

तालिका 3.1: निष्पादित कार्य, नमूना विधि और चयनित नमूने को दर्शाते हुए

भा.प्रौ.सं. की संख्या	वर्ष 2014-19 के दौरान निष्पादित कुल निमार्ण कार्य	नमूना विधि	नमूने का आकार
8	307 (अवसंरचना परियोजनाएं/निर्माण कार्य)	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना जांच (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि	136
	9925 (उपकरण एवं सेवाओं का प्रापण)		437

अवसंरचना के निर्माण से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.2 भूमि की उपलब्धता

भारत सरकार (जीओआई) ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया (2006) कि वे आठ भा.प्रौ.सं. में से प्रत्येक को आवश्यक सामाजिक और भौतिक अवसंरचना जैसे - बिजली, पानी, रेल और सड़क संयोजन सुविधा के साथ 500-600 एकड़ भूमि (विशेषतः सरकार के अधिकार में भूमि) चिन्हित करें और उसे निशुल्क आवंटित करें। डीपीआर में अवसंरचना निर्माण योजना 500-600 एकड़ भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई गयी थी।

भा.प्रौ.सं. द्वारा दिये गए आंकड़ों में, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन और हस्तांतरण वर्ष 2008-2012 के दौरान शुरू हुआ था। नवंबर 2020 तक, चार भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. हैदराबाद, भा.प्रौ.सं. इंदौर, भा.प्रौ.सं. जोधपुर और भा.प्रौ.सं. पटना) में भूमि का आवंटन और हस्तांतरण कार्य पूर्ण हो गया था, जबकि चार अन्य भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर, भा.प्रौ.सं. गांधीनगर, भा.प्रौ.सं. मंडी और भा.प्रौ.सं. रोपड़) में भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण लंबित था जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: भा.प्रौ.सं. में भूमि की उपलब्धता को दर्शाते हुए

(*क्षेत्रफल एकड़ में*)

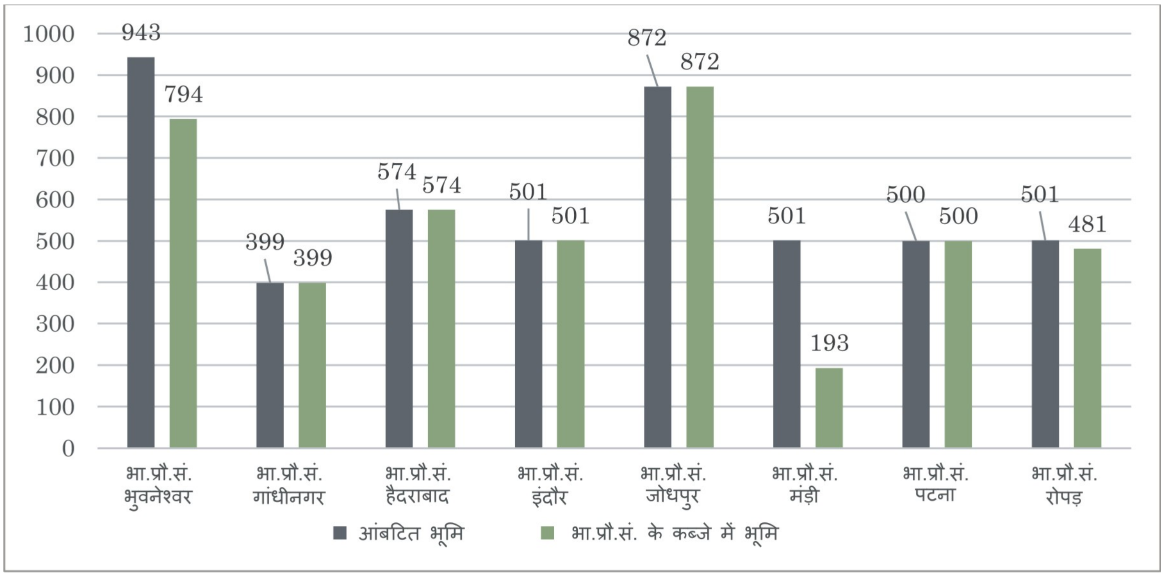

भा.प्रौ.सं. गांधीनगर में, यद्यपि संस्थान को 399 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी जिसमें 150 एकड़ भूमि अनुपयुक्त स्थिति में थी। अतः अनुपयोगी भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु 165 एकड़ भूमि राज्य सरकार से मांगी गई थी। भूमि के आवंटन/अधिग्रहण में कमी के कारणों की चर्चा भा.प्रौ.सं. -वार नीचे दिए गए पैराओं 3.4.1(क), 3.4.2(क), 3.4.6(क) और 3.4.8(क) में की गई है।

3.3 मास्टर प्लान एवं निर्माण गतिविधियां

प्रत्येक भा.प्रौ.सं. ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया जिसे संबंधित शासक बोर्ड/बीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन मास्टर प्लान में विस्तृत अवसंरचना की आवश्यकताएं और आवास, परिवहन, अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि और चरणबद्ध तरीके से उनका विकास सम्मिलित है। सभी आठ भा.प्रौ.सं. में प्रमुख निर्माण कार्य वर्ष 2012-19 के दौरान चरण-I और चरण-II के अंतर्गत लिए गए थे। भा.प्रौ.सं. ने परिसर की दीवार के निर्माण, बिजली स्टेशनों के स्थानांतरण, सड़कों के निर्माण आदि से संबन्धित अन्य कार्य भी निष्पादित किये हैं। इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए, भा.प्रौ.सं. ने निष्पादन के दो तरीके अपनाए **(i)** ठेकेदारों को शामिल करके भा.प्रौ.सं. द्वारा स्वतः कार्यों का निष्पादन और **(ii)** निक्षेप के आधार पर लोक निर्माण अभिकरणों जैसे- केंद्रीय लोक

निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (भारत) (रा.भ.नि.नि.) लिमिटेड आदि को कार्य सौंपना।

3.3.1 चरण-I और II: निर्माण में समग्र विलंब

समस्त भा.प्रौ.सं. के चरण-I और चरण-II के विकास कार्यों को *तालिका 3.2* में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: चरण-वार कार्यों का विवरण

चरण-I	छात्र/संकाय/कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास, प्रयोगशालाओं का निर्माण
चरण-II	मास्टर प्लान के अनुसार छात्र/संकाय/कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों, संकाय आवास, कर्मचारी आवास, प्रयोगशालाओं, उद्भवन उद्यान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान उद्यान, अतिथि गृह, खेल सुविधाओं आदि का निर्माण

चरण-वार निर्माण कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया-

(i) वर्ष 2012 के दौरान सभी भा.प्रौ.सं. में चरण-I के अंतर्गत निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गई थीं, चरण-I के अंतर्गत केवल दो भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर और भा.प्रौ.सं. जोधपुर) में भवन निर्माण कार्य पूर्ण थे, जबकि शेष छह भा.प्रौ.सं. में भवन निर्माण कार्य मार्च 2019 तक अपूर्ण थे।

(ii) पांच भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर, भा.प्रौ.सं. हैदराबाद, भा.प्रौ.सं. इंदौर, भा.प्रौ.सं. जोधपुर और भा.प्रौ.सं. पटना) में वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान चरण-II कार्य शुरू किए गए थे। लेखापरीक्षा ने दो भा.प्रौ.सं. नामत: भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर और भा.प्रौ.सं. इंदौर में चरण-II के भवन निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब पाया। शेष तीन भा.प्रौ.सं. (भा.प्रौ.सं. गांधीनगर, भा.प्रौ.सं. मंडी और भा.प्रौ.सं. रोपड़) में चरण-II का कार्य शुरू किया जाना बाकी था।

इन भा.प्रौ.सं. में जिन सुविधाओं में विलम्ब हुआ उनमें से कुछ शैक्षणिक भवन थे जिनमें अनुसंधान सुविधाएं, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और खेल सुविधाएं शामिल थे। इस प्रकार, निर्माण क्रियाकलापों की शुरुआत होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, भा.प्रौ.सं. में परिकल्पित परिसर विकास अधूरा रहा जैसा कि *तालिका 3.3* में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: मार्च 2019 तक चरण-I और चरण-II के अंतर्गत भवनों का निर्माण

भा,प्रौ.स. के नाम	चरण-I भवन		चरण-II भवन	
	योजनाबद्ध	पूरित	योजनाबद्ध	पूरित
भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर	13	13	26	0
भा.प्रौ.सं. गाधीनगर	7	3	प्रारम्भ नहीं किया गया	प्रारम्भ नहीं किया गया
भा.प्रौ.सं. हैदराबाद	8	6	10	0
भा.प्रौ.सं. इंदौर	13	12	11	0
भा.प्रौ.सं. जोधपुर	19	19	32	7
भा.प्रौ.सं. मंडी	107	70	प्रारम्भ नहीं किया गया	प्रारम्भ नहीं किया गया
भा.प्रौ.सं. पटना	18	15	16	0
भा.प्रौ.सं. रोपड़	33	14	प्रारम्भ नहीं किया गया	प्रारम्भ नहीं किया गया
कुल योग	**218**	**152**	**95**	**7**

3.3.2 नमूना निर्माण कार्यों में पाया गया विलंब

पैरा 3.1 में दिए गए विवरण के अनुसार चयनित नमूने पर निर्माण कार्यों की नमूना-जांच की गई थी। नमूनाकृत कार्यों के संबंध में, यह देखा गया कि सभी आठ भा.प्रौ.सं. में चरण-I, चरण-II और अन्य कार्यों के पूरा होने में विलम्ब हुआ, जैसा कि ***तालिका 3.4*** दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: 31 मार्च 2019 की समाप्ति तक नमूना चरण-I, चरण-II और अन्य कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

भा.प्रौ.सं. के नाम	चरण-I		चरण-II		अन्य कार्य	
	विलंबित कार्यों की संख्या	विलंब सीमा (महीनों में)	विलंबित कार्यों की संख्या	विलंब सीमा (महीनों में)	विलंबित कार्यों की संख्या	विलंब सीमा (महीनों में)
भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर	7	1-20	2	1-5	शून्य	शून्य
भा.प्रौ.सं. गांधीनगर	16	1-37	निर्माण शुरू नहीं हुआ		शून्य	शून्य
भा.प्रौ.सं. हैदराबाद	1	52	प्रगति पर है		10	2-56
भा.प्रौ.सं. इंदौर	4	5-37	4	1-14	शून्य	शून्य
भा.प्रौ.सं. जोधपुर	1	17	प्रगति पर है		5	2-6
भा.प्रौ.सं. मंडी	8	2-41	निर्माण शुरू नहीं हुआ		3	3-36
भा.प्रौ.सं. पटना	3	15-22	निर्माण शुरू हुआ लेकिन नमूने का हिस्सा नहीं है		8	2-18
भा.प्रौ.सं. रोपड़	9	4-39	निर्माण शुरू नहीं हुआ		1	18
कुल योग	**49**	**1-52**	**6**	**1-14**	**27**	**2-56**

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद (56 महीने तक), भा.प्रौ.सं. मंडी (41 महीने तक), भा.प्रौ.सं. रोपड़ (39 महीने तक), भा.प्रौ.सं. गांधीनगर और भा.प्रौ,सं इंदौर (37 महीने तक), इन पांच भा.प्रौ.सं. के संबंध में काफी अधिक विलम्ब हुआ।

विलम्ब के कारणों में अन्य कारणों के साथ-साथ डिज़ाइन को अंतिम रूप देने में लगने वाला अत्यधिक समय, नियामक अनापत्ति मंजूरी प्राप्त करना, वैधानिक अनुमोदन, ठेकेदारों की ओर से चूक, श्रमिकों की कमी और क्षेत्र की दूरस्थता आदि शामिल हैं। इन पर आगामी अनुच्छेदों में भा.प्रौ.सं.- वार चर्चा की गई है।

चरणबद्ध कार्यों के निष्पादन में होने वाला विलम्ब, अन्य प्रभावों के साथ, इन भा.प्रौ.सं. के प्रभावी निष्पादन को प्रभावित किया जैसे इसके परिणाम कम छात्रों का प्रवेश उपकरणों की स्थापना में देरी एवं अपर्याप्त आवास क्षमता में हुई।

इन विलम्बों के परिणामस्वरूप सभी आठ भा.प्रौ.सं. के लिए ₹8,252 करोड़ की कुल लागत बढ़ गई (पैरा 4.1.1 (क) देखें), जबकि संबंधित कार्य लक्षित समय सीमा के अंत तक अपूर्ण रह गये। इन अपूर्ण कार्यों के कारण, भा.प्रौ.सं. को अपने परिकल्पित छात्र प्रवेश क्षमता और नामांकन के विस्तार में बाधाओं का सामना करना पड़ा (पैरा 5.1.2 का संदर्भ लें)।

3.4 भा.प्रौ.सं.-वार अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.1 भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर

भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर ने वर्ष 2008 से भा.प्रौ.सं. खड़गपुर के संरक्षण में, उन्हीं के परिसर में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। स्थानांतरण की निर्धारित तिथि जुलाई 2015 थी और भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 से स्थायी परिसर (अरुगुल में स्थित) में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया था।

क) भूमि उपलब्धता

ओडिशा सरकार ने भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर को 943.27 एकड़ भूमि आवंटित (2009-10) की और तदनुसार संस्थान की चरणबद्ध तरीके से अवसंरचना निर्माण परियोजना का मास्टर प्लान विकसित किया गया। आवंटित भूमि में 305.11 एकड़ वन भूमि शामिल थी। वन

भूमि में से 148.91 एकड़ भूमि को अब तक (नवंबर 2020) भा.प्रौ.सं. को नहीं सौंपा[5] गया। आवंटित भूमि की उपलब्धता में कमी भविष्य के विस्तार में एक सीमित कारक सिद्ध होगी।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि वन भूमि का परिवर्तन राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है और भा.प्रौ.सं. द्वारा अनुसरण में था। शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठाया है। तथ्य यह है कि मास्टर प्लान को, जिसके आधार पर अवसंरचना निर्माण का विकास होना था, लगभग 900 एकड़ भूमि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस प्रकार, आवश्यक भूमि की कमी ने भा.प्रौ.सं. के सम्पूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न की।

ख) कार्य का निष्पादन

भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर में चरण-I के कार्य (11 निर्माण कार्य) के.लो.नि.वि. द्वारा निष्पादित किए गए थे। इनमें से केवल चार कार्य (संकाय, आवास एवं प्रशासनिक भवन) निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण किये गये थे। शेष सात कार्य (प्रयोगशाला परिसर, विद्युत विज्ञान के स्कूल, यांत्रिक विज्ञान, अवसंरचना, बुनियादी विज्ञान, लड़कों का छात्रावास और परिसर की दीवार) जो अक्टूबर 2013 से मार्च 2016 तक पूरे किए जाने थे, को अक्टूबर 2014 से मई 2016 तक पूर्ण किए गए। इस प्रकार, विलंब, एक से बीस महीने (31 मार्च 2019 तक) के बीच था।

चरण-II के कार्यों को एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया था। तीन कार्यों में से दो कार्य (लड़कों का छात्रावास एवं पैकेज कार्य) जिन्हें अक्टूबर 2018/फरवरी 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, वे मार्च 2019 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। पूर्ण होने में विलम्ब एक माह से पांच माह के बीच था (31 मार्च 2019 तक)। इसके बाद, मार्च 2019 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला तीसरा कार्य प्रगति पर था (जिसे नवंबर 2019 तक पूरा किया जाना था)।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि चरण- I/II कार्यों को पूरा करने में देरी के.लो.नि.वि. और एनबीसीसी के कारण हुई। इसका मुख्य कारण कम जनशक्ति की तैनाती और डिजाइनों में गलतियां थीं। भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर इन पीएमसी द्वारा निष्पादन की गति की लगातार निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दो कार्य पहले

[5] भूमि सौंपना अर्थात भूमि के स्वामित्व का स्थानान्तरण। आपातकालीन स्थिति में, भूमि का अग्रिम स्वामित्व दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया हेतु औपचारिक अनुमोदन के लंबित होने पर राज्य सरकार द्वारा अनुमत्य कर दिया जाता है।

ही रद्द किए जा चुके हैं और लगातार अनुनय करने पर, चूककर्ता ठेकेदारों से 38.45 करोड़[6] बतौर जुर्माना पहले ही साधित किए जा चुके हैं।

तथापि, तथ्य यह है कि निष्पादन संस्थाओं पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद, स्थायी परिसर के विकास में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिससे विलम्बित अवधि के दौरान वांछित अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

ग) अग्नि सुरक्षा कार्यों का दोषपूर्ण निष्पादन

राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (एनबीसी)[7] में प्रावधान है कि भवन परियोजनाओं का निर्माण करते समय, डिजाइन में सांविधिक अग्निशमन रणनीतियां शामिल होनी चाहिए।

भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर में, एक परामर्शदाता को (परामर्श इंजीनियरिंग सेवा (सीईएस) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को चरण-I के अन्तर्गत विभिन्न भवनों जैसे छात्रावास, कर्मचारी आवास, अतिथि गृह आदि के लिए परियोजना विकास और परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाया गया था (मई 2010)। यह पाया गया कि वे डिजाइन जो एनबीसी 2005 के अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालना नहीं कर रहे थे, उन्हें निर्माण कार्य के लिए अपनाया गया और भवनों का निर्माण किया गया, जिससे उनमें रहने वालों को आग लगने के खतरों का सामना करना पड़ सकता था। परिणामस्वरूप, पहले से निर्मित छह[8] भवनों के कुछ हिस्सों को ₹32 लाख की लागत से तोड़ा गया था (जून 2015)। बाद में, भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर ने अनुमान लगाया कि एनबीसी 2005 की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अग्निशामक प्रणाली स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ₹2.18 करोड़ खर्च करने होंगे।

यह निगरानी में चूक को दिखाया क्योंकि भवनों को अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित रूप से डिजाइन किया जाना सुनिश्चित करना बीडब्ल्यूसी का कार्य था। इस चूक के कारण, भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर को ₹32 लाख का वित्तीय नुकसान हुआ।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि सीईएस के शेष दावों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति ने सीईएस से ₹32.08 लाख की वसूली की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, भा.प्रौ.सं. ने इस प्रकार की त्रुटियों के कारण इस परामर्श संस्था को ₹92.55 लाख निर्गत न करने का निर्णय लिया है।

---

6 ₹12.08 करोड़ - कें.लो.नि.वि. तथा ₹26.37 करोड़ -एनबीसीसी

7 भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा प्रकाशित

8 800 लड़कों की क्षमता वाला छात्रावास, 200 लड़कियों की क्षमता वाला छात्रावास, कर्मचारी आवास, अतिथि गृह, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स एवं सामुदायिक केंद्र।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह छात्रों/संकाय और कर्मचारियों को शिक्षण और निवास की निर्धारित क्रियाकलापों में होने वाले व्यवधान को स्पष्ट नहीं करता है।

3.4.2 भा.प्रौ.सं. गांधीनगर

भा.प्रौ.सं. गांधीनगर ने अगस्त 2008 के दौरान विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, चांदखेड़ा में एक अस्थायी परिसर से भा.प्रौ.सं. बॉम्बे के संरक्षण में अपनी गतिविधियाँ की प्रारम्भ की। बाद में जुलाई 2015 से मार्च 2016 की अवधि में यह अपने स्थायी परिसर पलाज, गांधीनगर में स्थानांतरित हो गया।

क) भूमि उपलब्धता

गुजरात सरकार ने 399 एकड़ भूमि आवंटित (सितंबर 2010) की। इनमें से 150 एकड़ भूमि खड्डेदार थी और जिसमें बाढ़ आने और कटाव होने की संभावना थी। इस 150 एकड़ के बदले में भा.प्रौ.सं. गांधीनगर द्वारा 165 एकड़ भूमि के लिए अनुरोध किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार, नवंबर 2020 तक भा.प्रौ.सं. गांधीनगर के पास निर्माण के लिए उपयुक्त 249 एकड़ भूमि ही उपलब्ध थी। इस प्रकार गुजरात सरकार द्वारा आवंटित भूमि (50 प्रतिशत), डीपीआर के अनुसार आवश्यक 500-600 एकड़ भूमि की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी। भा.प्रौ.सं. गांधीनगर के अनुसार भूमि की उपलब्धता में कमी भविष्य में परिसर के विस्तार के लिए हानिकारक है।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि अतिरिक्त भूमि आवंटित करने के लिए भा.प्रौ.सं. द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी राज्य सरकार ने अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की थी। जुलाई 2016 में, राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को लिखा था कि भा.प्रौ.सं. गांधीनगर को अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात, भा.प्रौ.सं. राज्य सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। तथापि, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा भा.प्रौ.सं. गांधीनगर को प्रदत्त अपर्याप्त भूमि आवंटन का मुद्दा नहीं उठाया।

अतः, आवश्यक भूमि की कमी भा.प्रौ.सं. के लिए अपने छात्रों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में एक बड़ी बाधा थी।

ख) चरण-I में कार्यों का निष्पादन

चरण-I के अन्तर्गत छब्बीस कार्य भा.प्रौ.सं. गांधीनगर[9] द्वारा शुरू किए गए थे। इन कार्यों में से 14 कार्य (शैक्षणिक भवन, संकाय/कर्मचारी आवास, चारदीवारी, विद्युत संयोजन, छात्रावास आदि) पूरे हो चुके थे और दो कार्य (संस्थान का अतिथि गृह और निदेशक का आवास, रंगभूमि और खेल सुविधाएं) प्रगति पर थे। यह देखा गया कि निष्पादित इन 16 कार्यों के संबंध में, 31 मार्च 2019 तक एक महीने से लेकर सैंतीस महीने के बीच का विलम्ब था। शेष दस कार्य (पानी पाइपलाइन कनेक्शन, एचटी कनेक्शन और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिए गए थे।

शिक्षा मंत्रालय के जवाब (सितंबर 2021) में कहा गया कि चरण-I में आवास, छात्रावास और शैक्षणिक भवनों के सभी तीन प्रमुख कार्य जून/अगस्त 2013 से शुरू किए गए थे और पुराने परिसर से नए परिसर में स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया मार्च 2016 में पूरी की गई थी। नगरपालिका संबंधी सुविधाएं (सीवर लाइन, पानी की आपूर्ति, बिजली आदि) आसानी से उपलब्ध नहीं थें और ये सभी व्यवस्थायें भा.प्रौ.सं. द्वारा की गई। भूमि अधिग्रहण से लेकर भवनों को प्रयोग में लाने तक की अवधि में गतिविधियों के विस्तार जैसी बड़े परिमाण की सेवाओं को पूरा करने के कारण चरण-I के कार्यों को विलंबित नहीं माना जा सकता है।

जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना है कि के.लो.नि.वि. द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख कार्यों, अर्थात् शैक्षणिक भवन, संकाय, और कर्मचारी आवास के संबंध में के.लो.नि.वि. ने देरी से ड्राइंग की प्राप्ति, वास्तु और संरचनात्मक ड्राइंग में विसंगतियों, निष्पादन के बाद संशोधन, बार-बार परिवर्तन आदि को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसने परिसर विकास की आवश्यक गति और समयबद्धता सुनिश्चित करने में भा.प्रौ.सं. गांधीनगर की ओर से कमजोर पहल और ढिलाई प्रदर्शित किया।

ग) निविदा और कार्यों का आवंटन

जीएफआर 2005 के नियम-163 से 176, परामर्शदाताओं की पहचान, शॉर्टलिस्टिंग और चयन और सेवाओं की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को तय करते हैं। सीवीसी परिपत्र संख्या 23/7/07 दिनांक 5 जुलाई 2007 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि

---

[9] चरण-I के अंतर्गत 26 कार्यों में से आठ मुख्य कार्य के.लो.नि.वि. को सौपे गए तथा एक कार्य लो.नि.वि. को सौपा गया तथा शेष कार्य भा.प्रौ.सं. द्वारा स्वयं किए गए।

किसी भी सरकारी संस्था द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी एक बुनियादी आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चरण-I पांच कार्यों[10] के लिए वास्तु परामर्श सेवाएं जिनमें शैक्षणिक भवनों, खेल परिसर आदि का निर्माण शामिल था, को जीएफआर के उक्त प्रावधानों का पालन किए बिना, ₹7.64 करोड़ के परामर्श शुल्क पर नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया था। आगे, यह भी देखा गया कि ओनर्स आर्किटेक्ट और बाद में उस ओनर्स आर्किटेक्ट के स्वामित्व वाली एक कंपनी को भी नामांकन के आधार पर नियुक्त किया गया था। ओनर्स आर्किटेक्ट के स्वामित्व वाली कंपनी के एक सिविल इंजीनियर को भी नामांकन के आधार पर नियुक्त किया गया था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि मौजूदा अनुबंध में उनके निष्पादन के आधार पर वैध कारणों पर नियम और शर्तों के अनुसार उनकी सेवाओं के दायरे का विस्तार करके वास्तु सलाहकारों को कार्य प्रदान किए गए थे।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भा.प्रौ.सं. गांधीनगर ने नामांकन के आधार पर वास्तु सलाहकारों को ठेके देते समय जीएफआर नियमों का पालन नहीं किया। सीधी वार्ता के माध्यम से वास्तु सलाहकारों के चयन, गुणवत्ता और लागत के संबंध में प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रदान नहीं होगा और चयन में पारदर्शिता की कमी भी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि भा.प्रौ.सं. को नामांकन के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए जीएफआर का पालन करना चाहिए।

घ) अनुसंधान उद्यान के लिए निधि अवरुद्ध करना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार ने एक अनुसंधान उद्यान के निर्माण के लिए भा.प्रौ.सं. गांधीनगर को ₹90 करोड़ का अनुदान (सितंबर 2016) की संस्वीकृति दी और सितंबर 2016 और मार्च 2019 में क्रमशः ₹40 करोड़ और ₹16.10 करोड़ आवंटित किए। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि यद्यपि भा.प्रौ.सं. गांधीनगर द्वारा सितंबर 2016 में धन प्राप्त किया गया था, भा.प्रौ.सं. ने अनुसंधान पार्क के निर्माण के लिए केवल जून 2018 में के.लो.नि.वि. (एमओयू के अनुसार) को ₹29.60 करोड़ की अग्रिम राशि जारी की गई। इस प्रकार, के.लो.नि.वि. को निधियां जारी

[10] (i) बेडरूम तथा स्टुडियो अपार्टमेंट्स (ii) शैक्षणिक भवन (iii) स्थायी सीमा दीवार तथा प्रवेश द्वार (iv) केंद्रीय आच्छादित मार्ग, खेल संकुल तथा खेल का मैदान (v) खुला रंगमंच, कार पार्किंग तथा नदी सैरगाह

करने में भा.प्रौ.सं. की ओर से 22 महीने विलम्ब हुआ जिससे अनुसंधान उद्यान के निर्माण में विलम्ब हुआ।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि इतने बड़े मूल्य और नवीन प्रगतिशील परियोजना के लिए वास्तु सलाहकार के चयन, आरएफपी के विकास, निविदा प्रक्रिया, कार्य अनुबंध देने आदि के लिए लिया गया प्रारंभिक समय, सामान्य है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा.प्रौ.सं. गांधीनगर के पास निधियां 22 महीनों तक निष्क्रिय पड़ी थी। इस देरी ने छात्रों और शिक्षकों को परिकल्पित अनुसंधान उद्यान के समय पर लाभों से वंचित कर दिया जोकि अभी तक पूरा नहीं हुआ था (सितंबर 2021)।

3.4.3 भा.प्रौ.सं. हैदराबाद

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद ने वर्ष 2008 के दौरान भा.प्रौ.सं. मद्रास के संरक्षण में ऑर्डनेंस फैक्ट्री एस्टेट, येदुमैलारम में, एक अस्थायी परिसर से अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। बाद में, आंध्र प्रदेश सरकार (पूर्ववर्ती) ने वर्ष 2008-12 के दौरान तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कंदी गांव में स्थायी परिसर हेतु कुल 575.04 एकड़ जमीन हस्तांतरित की। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पहला शैक्षणिक भवन जून 2016 में पूर्ण हुआ था और अन्य भवन जैसे छात्रावास, भोजन कक्ष, कर्मचारी आवास आदि फरवरी 2017 से अप्रैल 2019 के दौरान पूर्ण किए गए थे।

क) कार्य निष्पादन: चरण-I के अंतर्गत निर्माण कार्य में विलम्ब

चरण-I के अन्तर्गत सभी कार्यों को वर्ष 2012 के दौरान एकल अनुबंध (स्थायी परिसर का निर्माण) के रूप में लिया गया था और नवंबर 2014 तक उन्हें पूर्ण करना, निर्धारित किया गया था।

भवन-वार विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि रासायनिक अभियांत्रिकी खंड, यांत्रिक अभियांत्रिकी खंड, सिविल अभियांत्रिकी खंड, छात्रावास खंड और आवासीय खंड जैसे भवनों के पूरा होने में दो से पांच साल का विलम्ब था। ₹222.74 करोड़ राशि के अनुबंध मूल्य का केवल 31 प्रतिशत 24 महीने की अनुबंध अवधि के भीतर खर्च किया गया था और 24 महीने की मूल अनुबंध अवधि के भीतर कोई भी भवन पूरा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, छात्र/कर्मचारियों और अन्य निवासियों को समय पर उपरोक्त वर्णित नियोजित परिसर सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि चरण-I में निर्माण में विलम्ब के कई कारण जैसे- प्रारंभिक भूमि विवाद, सेवा लाइनों की शिफ्टिंग, तेलंगाना/सीमांध्र आंदोलन पर बार-बार हड़ताल, श्रमिक और सामग्री के आवागमन में गंभीर बाधा, आम चुनाव, 2015-16 में भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने में विलम्ब, विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन और प्राकृतिक आपदाएं जो किसी भी हितधारक के नियंत्रण से बाहर थीं, आदि थे। भा.प्रौ.सं. ने यह भी कहा (अगस्त 2021) कि विलम्ब के लिए मुआवजे की वसूली के लिए ठेकेदार से ₹4.94 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

तथ्य यह है कि निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप छात्रों और शिक्षकों को पूर्ण अवसंरचना के लाभों से वंचित होना पड़ा। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2014 से शुरू होने वाले छात्रों के कम से कम तीन बैचों ने नए शैक्षणिक भवनों/प्रयोगशालाओं और स्थायी छात्रावास सुविधाओं जैसे नए परिसर का पूरा लाभ प्राप्त किए बिना ही स्नातक पूर्ण किया।

ख) चरण-II को प्रारम्भ करने में अत्यधिक विलंब

चरण-II के कार्यों पर ₹1,776.50 करोड़ की लागत आने का अनुमान था। इसमें से, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने जनवरी 2014 के दौरान भारत सरकार को ₹1,501.72 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया। शेष ₹274.77 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और वर्ष 2013-14 से निधि निर्गत करना शुरू किया गया था। परियोजना की अवधि 2013-14 से 2016-17 तक चार वर्ष की थी। चरण-II के कार्यों में अन्य कार्यों के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन उद्यान (टीआईपी) और प्रौद्योगिकी अनुसंधान उद्यान (टीआरपी) के अन्तर्गत प्रयोगशाला परिसरों का निर्माण सम्मिलित है। टीआईपी और टीआरपी का उद्देश्य स्टार्ट-अप के लिए जगह प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि चरण-II से संबंधित निर्माण कार्य हालांकि मार्च 2019 के दौरान, अर्थात ऋण समझौते की तारीख से पांच वर्ष पश्चात दिया गया था और मार्च 2022 (मार्च 2019 से 36 महीने) तक पूर्ण करना, निर्धारित किया गया था। विलम्ब के परिणामस्वरूप परिसर में शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का इच्छित उद्देश्य आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। यह बीडब्ल्यूसी/बीओजी की ओर से निधि जारी करने पर निगरानी और समय पर निर्माण क्रियाकलापों को शुरू करने में निष्क्रियता को दर्शाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि जेआईसीए के दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों की आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के अतिरिक्त संबंधित प्राधिकारियों से स्वीकृति, डिजाइन की स्वीकृति, निविदाएं तैयार करने और ठेकेदार को कार्य आवंटित करने परियोजना के इस परिमाण के कारण कार्य में विलम्ब हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2014 में चरण-II के अवसंरचना के कार्यों के लिए जेआईसीए के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुबंध (2019) देने में पांच साल के असामान्य विलंब के लिए मंत्रालय द्वारा जवाब में दिये गए कारण उचित नहीं थे।

ग) निविदा में देरी के कारण भवनों के अधिभोग के बाद एसटीपी का निर्माण और ₹56.62 लाख का परिहार्य व्यय

छात्रावासों और शैक्षणिक भवनों की सीवेज उपचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिसर में बीडब्ल्यूसी द्वारा दो सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) प्रस्तावित किए गए थे (सितंबर 2014)। भा.प्रौ.सं. हैदराबाद का प्रयोजन स्थायी परिसर में ऊष्मा देना, हवादार बनाना और वातानुकूलन (एचवीएसी), शौचालय फ्लशिंग और बागवानी के लिए उपचारित अपशिष्ट का पुन: उपयोग करना था। दोनों एसटीपी के लिए सिविल कार्य (₹10 करोड़) एवं पहली एसटीपी के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएम) कार्य (₹ सात करोड़) के लिए कुल अनुमानित लागत ₹17 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि यद्यपि बीडब्ल्यूसी को यह अवगत था कि एसटीपी का निर्माण भवनों के अधिभोग से पहले किया जाना था, यह उनके संचालन के लिए उपयुक्त तकनीक पर निर्णय नहीं ले सका। इस प्रकार, चरण-I कार्यों के लिए निविदा (अगस्त 2012) के दौरान एसटीपी से संबंधित कार्य पर विचार नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि एसटीपी कार्य (सिविल कार्य) सितंबर 2014 में चरण-I कार्यों के निष्पादन के दौरान चरण-I ठेकेदार को ही सौंपे गए थे। इस कार्य को निविदा देने के स्थान पर कार्य के अतिरिक्त मद के रूप में ठेका दिया गया। यह जीएफआर के नियम का उल्लंघन था जिससे भा.प्रौ.सं. ने प्रतिस्पर्धी कीमतों का अवसर खो दिया। इसके अलावा, एसटीपी के ईएम कार्यों को मार्च 2018 में पृथक रूप से आवंटित किया गया था और जून 2019 में पूरा किया गया था। इस बीच, वर्ष 2015 के दौरान इमारतों पर कब्जा कर लिया गया था, भा.प्रौ.सं. ने ₹56.62 लाख (वर्ष 2015-18) के खर्च पर

सेप्टिक टैंक, विस्तार चैनल, सोख गड्ढे आदि के माध्यम से अस्थायी सीवेज निपटान की योजना बनाई।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि वर्ष 2012 में ठेकेदार द्वारा दी गई अनुबंध दरों के साथ एक अतिरिक्त/अधिक मद के रूप में वर्ष 2018 में निष्पादित किया गया था। इसे चरण-I निर्माण कार्यों के साथ पूरा किया गया था और एसटीपी के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसटीपी को भवन के कब्जे के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में है अतः इसे भवनों पर कब्जा करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए था और एसटीपी के न बनने से भा.प्रौ.सं. हैदराबाद को ₹56.62 लाख की परिहार्य लागत वाले सीवेज निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। आगे, एसटीपी के सिविल कार्यों को जीएफआर के अन्तर्गत आवश्यक रूप से निविदा दी जानी चाहिए थी।

घ) परामर्शदाताओं को अनुचित लाभ के उदाहरण

(i) परिहार्य वित्तीय बोझ - ₹12.86 करोड़

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद द्वारा (सितंबर 2011) चरण-I निर्माण कार्यों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी.एम.सी.) के रूप में एक परामर्श फर्म (टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड) की नियुक्ति की गई (सितंबर 2011)। पीएमसी के लिए परामर्श शुल्क निर्माण कार्यों की लागत का 1.81 प्रतिशत निर्धारित किया गया था और परामर्शदाता को 36 महीने के लिए परामर्श कार्य पर लगाया गया था। अनुबंध में संविदा अवधि के बाद भी कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का भी प्रावधान था।

निर्माण परियोजना (चरण-I कार्य) के लिए अनुबंध नवंबर 2012 में ₹643.97 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर प्रदान किया गया था और उसके बाद 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। तदनुसार, 36 महीनों के अंत में पीएमसी को देय शुल्क ₹11.66 करोड़ (₹643.97 करोड़ का 1.81 प्रतिशत) हुआ।

यह देखा गया कि निर्माण परियोजना (चरण-I) का अनुबंध कार्य 24 महीने (अर्थात नवंबर 2014 तक) की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और अप्रैल 2019 में पूरा होने से पहले पांच वर्ष का असामान्य रूप से विलंब हुआ। पीएमसी के लिए परामर्श शुल्क निर्माण कार्यों की लागत के 1.81 प्रतिशत (₹643.97 करोड़) पर,

निर्धारित किया गया था, काम के पूर्ण हिस्से के लिए परामर्शदाता को ₹8.54 करोड़ (09/2011 से 03/2019 तक) का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएमसी को मासिक आधार पर 2015-16 से 2018-19 तक 42 महीने[11] से अधिक विलम्ब अवधि के लिए कुल ₹12.86 करोड़[12] राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, परामर्शदाता को दो समानांतर भुगतान (03/2016 से 03/2019 तक) यानी मूल परामर्श शुल्क (₹637.97 करोड़ का 1.81 प्रतिशत की दर से) के साथ-साथ समान परामर्श सेवाओं के लिए 43वें महीने से बिना किसी अतिरिक्त सेवा के मासिक मुआवजा मिला। इसके कारण परामर्शदाता को दिए गए अतिरिक्त मुआवजे के कारण परिहार्य भुगतान हुआ।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि पीएमसी के साथ-साथ बीडब्ल्यूसी द्वारा विलम्ब की पूर्ण रूप से जांच की गई थी और तदनुसार विलम्ब उचित पाया गया था और सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन से अनुबंध की समय-सीमा बढ़ा दी गई थी।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में कमी थी जिसके कारण अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान समान परामर्श सेवाओं के लिए दोहरा भुगतान प्रदान किया था। इससे परामर्शदाता को ₹12.86 करोड़ (मार्च 2019) का अनुचित लाभ मिला।

(ii) अनुबंध में अनिश्चित समय सीमा

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (सीएसई) विभाग के लिए 'वास्तुशिल्प, संरचनात्मक, यांत्रिक, विद्युत, और नलसाजी (एमईपी) और शैक्षिक प्रौद्योगिकी' के लिए परामर्श सेवाएं (डिजाइन) प्रदान करने के लिए एक अनुबंध (मार्च 2011) किया गया था। परामर्श शुल्क प्रस्तावित भवन के 'स्वीकृत बोली मूल्य'[13] के पांच प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था, चाहे कार्य पूरा होने की लागत कुछ भी हो। अनुबंध में दस किश्तों में चरणवार[14] भुगतान का प्रावधान कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया था और अंतिम भुगतान परामर्शदाता द्वारा “एज़ बिल्ट ड्रॉइंग्स”[15] प्रस्तुत करने पर किया जाना था। जैसा कि,

---

11 विस्तारित समय के लिए मासिक भुगतान नियुक्ति तिथि से 43वें माह से प्रारम्भ होगा।

12 ₹3.89 करोड़ (2015-16), ₹2.75 करोड़ (2016-17), ₹3.52 करोड़ (2017-18) तथा ₹2.70 करोड़ (2018-19)

13 भवन के निर्माण के लिए अनुबंध का आवंटित मूल्य

14 अनुबंध के अनुसार चरण-वार भुगतान की अनुसूची है - (पहला चरण) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर 5%, (दूसरा चरण) वैचारिक डिजाइन के अनुमोदन पर 10 %, (तीसरा चरण) संशोधित वैचारिक डिजाइनों और रेखाचित्रों के अनुमोदन पर 10 %, (चौथा चरण) सांविधिक निकायों द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन पर 10%, (पांचवें चरण) संस्थान द्वारा “निर्माण के लिए सही ” ड्राविंग्स अनुमोदन पर 20%, (छठवाँ चरण) विशिष्टताओं के साथ मदों की अनुसूची, विस्तृत अनुमान और निविदा दस्तावेजों के लिए संस्थान के अनुमोदन पर 10%, (सातवाँ चरण) निर्माण अनुबंध के आवंटन पर 10%, (आठवाँ चरण) 50% निर्माण कार्य पूरा होने पर 10%, (नौवाँ चरण) सभी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 5%, (दसवां चरण) एज़ बिल्ट ड्राइंग जमा करने पर 10% है।

15 भवन का डिजाईन

अनुबंध की कोई समाप्ति तिथि नहीं थी, और परामर्शदाता को अनुबंध में उल्लिखित समय-सीमा पूरा होने पर ही भुगतान किया जाना था। चरण 6[16] तक किए गए कार्य के लिए परामर्श शुल्क (मार्च 2011 से दिसंबर 2012) ₹42.02[17] लाख का भुगतान किया गया था।

यह देखा गया कि सीएसई विभाग का वास्तविक निर्माण कार्य जुलाई 2019 यानी आठ साल के विलम्ब के बाद में निर्धारित लागत पर ₹47.38 करोड़ पर लिया गया था। भा.प्रौ.सं. हैदराबाद द्वारा परामर्शदाता को पूर्व में छह चरण तक किए भुगतान को दोबारा आगणित किया गया क्योंकि ये भुगतान 'स्वीकृत बोली मूल्य[18]' पर आधारित न होकर आकलित लागत पर आधारित थे। इसलिए, दिसंबर 2012 तक किए गए कार्य के 'स्वीकृत बोली मूल्य' के आधार पर परामर्शदाता को भुगतान को संशोधित कर ₹70.36 लाख[19] (सितंबर 2019) कर दिया गया। परिणामस्वरूप, सितंबर 2019 में ₹28.34 लाख (₹70.36 लाख - ₹42.02 लाख) की अतिरिक्त शुल्क राशि लाख) का भुगतान किया गया था। इस तरह, निर्माण के लिए ठेका देने में आठ साल के विलम्ब ने समय के साथ लागत में स्वाभाविक वृद्धि के कारण भा.प्रौ.सं. पर एक अतिरिक्त दायित्व प्रभारित किया गया।

शिक्षा मंत्रालय ने (सितम्बर 2021) जवाब दिया कि परामर्श की अवधि चाहे कुछ भी हो परामर्श शुल्क कार्य के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर देय होगा। भा.प्रौ.सं. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया था तथा भविष्य में आगामी वास्तु अनुबंधों में इसे लागू करेगा।

जवाब को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि अनुबंध में कमी थी क्योंकि यह एक ओपन-एंडेड अनुबंध था और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सीमित नहीं था जिसने भा.प्रौ.सं. हैदराबाद पर अनिश्चितकालीन दायित्व प्रभारित किया गया।

ङ) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं की अगम्यता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'सुगम्य भारत अभियान' शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजनों को दूसरों के साथ समान आधार पर

---

16 पूर्व आवंटन

17 ₹28.30 करोड़ की 'अनुमानित लागत' पर आधारित

18 ₹47.38 करोड़

19 भा.प्रौ.सं. (अप्रैल 2014) द्वारा परामर्श शुल्क "बोली मूल्य" 5.0 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कम कर दिया गया।

भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तथा प्रणाली और अन्य सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि कार्यशाला भवन के भारयुक्त लैब्स-3 में पुरुष और महिला उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालय ब्लॉक की योजना व निर्माण (2019) शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रावधान के बिना बनायी गयी थी।

शिक्षा मंत्रालय ने (सितंबर 2021) जवाब दिया कि उक्त आवश्यकता को भविष्य के सभी निर्माणों में प्रवेश रैंप और ग्रैब बार प्रदान करके शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए सुगम्य बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

च) फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी) का निर्माण

भा.प्रौ.सं. का स्थायी परिसर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (एनएच 65) पर स्थित है। भा.प्रौ.सं. हैदराबाद परिसर में मुख्य प्रवेश हैदराबाद के यातायात को ले जाने वाले एनएच 65 को बंद कर देता है, जो इसके विपरीत तेलंगाना और महाराष्ट्र के अन्य जिलों की ओर जाता है।

बीडब्ल्यूसी ने भा.प्रौ.सं. परिसर के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भा.प्रौ.सं. हैदराबाद के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक सुविधाजनक स्थान पर एफओबी के निर्माण के लिए अनुमोदन (सितंबर 2017) प्रदान दिया। हालांकि, आज की तारीख (अक्टूबर 2020) तक एफओबी का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे भा.प्रौ.सं. हैदराबाद के छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद ने अपने जवाब (नवंबर 2020) में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने व्यय को वहन करने सहित कुछ खंड निर्धारित किए थे और इस उद्देश्य के लिए भा.प्रौ.सं. हैदराबाद के विपरीत तरफ की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कहा था। एनएचएआई ने यह भी संकेत दिया कि एफओबी के बनने के बाद इसे एनएचएआई को हस्तांतरित किया जाना था। भा.प्रौ.सं. को केंद्र सरकार का संगठन होने के कारण भारत सरकार के निधि से इस तरह के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए, उन खण्डों ने भा.प्रौ.सं. हैदराबाद को इस दिशा में कोई और कदम उठाने से रोक दिया था।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनएचएआई/एमओआरटीएच के साथ इस मामले का अनुसरण करने से इस मुद्दे का समाधान हो सकता था। तथापि, शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को एनएचएआई/एमओआरटीएच (सितंबर 2021) के साथ नहीं उठाया।

3.4.4 भा.प्रौ.सं. इंदौर

भा.प्रौ.सं. इंदौर ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी संस्थान में एक अस्थायी परिसर से और भा.प्रौ.सं. बॉम्बे के संरक्षण में शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान इंदौर, मध्य प्रदेश में कुल 501.42 एकड़ भूमि आवंटित की। इसने फरवरी 2016 से नए परिसर से कार्य करना शुरू किया।

क) कार्यों का निष्पादन

20 नमूनाकृत कार्यों में से चार कार्य चरण-I से संबंधित हैं जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। सभी चार कार्यों को भा.प्रौ.सं. द्वारा निष्पादित किया गया था और जनवरी 2015 और सितंबर 2016 के बीच पूरा होने के लिए निर्धारित किया गया था। चार कार्यों में से, तीन कार्यों (कार्यशाला भवन, हब निर्माण और परिसर के बुनियादी ढांचे के काम) को पांच से 19 महीने के बीच के विलंब के साथ जून 2015 और अगस्त 2017 के बीच पूरा किया गया था। ₹307.95 करोड़ की लागत का एक कार्य (सिमरोल में स्थायी परिसर का निर्माण), जिसे फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था, में मार्च 2019 तक सैंतीस माह का विलम्ब था।

जांच किए गए 16 चरण-II कार्यों में से, सात कार्यों के लिए 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था जबकि अन्य नौ कार्य मार्च 2019 के बाद ही पूर्ण होने वाले थे। इन कार्यों में से, दो कार्य (संकाय आवास और फुटबॉल मैदान) मार्च 2019 तक चार से सात माह के बीच के विलम्ब के साथ प्रगति पर थे, जबकि दो कार्य (फुटपाथ और सहायक कार्य) एक से 14 माह के विलंब से पूरे किए गए।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2021) कि ठेकेदार के गैर-निष्पादन के कारण, चरण-I के अनुबंध को रद्द कर दिया गया था और बीओजी ने विलंब के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए ₹30.61 करोड़ के परिसमापन नुकसान को लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय द्वारा चरण-II में देरी के लिए कोई अलग से जवाब नहीं दिया गया था।

हालांकि, यह कहा गया था कि लगभग सभी कार्य 31 मार्च 2021 के विस्तारित समय से पहले पूरे कर लिए गए हैं।

जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि चरण-I के अंतर्गत कार्य एक नए ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा के साथ अगस्त 2021 में आवंटित किया गया था। अतः स्थायी परिसर के निर्धारित समापन अर्थात फरवरी 2016 के बाद पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छात्र परिसर के इच्छित लाभों से वंचित रहे।

ख) इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर का पूरा न होना

इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर (आईएससी) का निर्माण कार्य 'स्थायी परिसर का निर्माण चरण-I ए(ए) भाग ए' के अन्तर्गत किया जाना था जो कि मैसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल) को (जून 2014) प्रदान किया गया था। इसे फरवरी 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य था; हालांकि, यह मार्च 2019 तक भी पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि ₹12.63 करोड़ की निविदा राशि के विरूद्ध, मार्च 2019 तक यानी पूरा होने के लिए निर्धारित 20 महीने की अवधि के मुकाबले 57 महीने से अधिक के विलम्ब के बाद भी केवल ₹7.20 करोड़ (56 प्रतिशत) की वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय ने (सितंबर 2021) जवाब दिया कि गैर-निष्पादन के कारण, अनुबंध को जून 2020 में रद्द कर दिया गया था और शेष कार्य को ठेकेदार की जोखिम लागत पर पूरा करने के लिए अगस्त 2021 में प्रदान किया गया था।

जवाब इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण छह साल बीत जाने के बावजूद नवंबर 2020 तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

ग) सृजित परिसंपत्तियां तथा उनका उपयोग न किया जाना

(i) 'स्थायी परिसर के निर्माण का चरण-I ए (ए) भाग ए' कार्य के अंतर्गत, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सुविधाएं दी जानी थीं। मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल) (जून 2014) को ₹15.18 करोड़ की लागत पर कार्य आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि निर्धारित तिथि (फरवरी 2016) से चार वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी ठेकेदार द्वारा एचवीएसी कार्य पूरा नहीं किया गया था। यह देरी संसाधनों के अपर्याप्त परिनियोजन और सामग्रियों के प्रापण के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.63 करोड़ मूल्य के एचवीएसी उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे और भा.प्रौ.सं. को उनके वांछित लाभों से वंचित होना पड़ा।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि गैर-निष्पादन के कारण, ठेकेदार के साथ हुआ अनुबंध जून 2020 में रद्द कर दिया गया था और ठेकेदार की जोखिम लागत पर शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 2021 में शेष कार्य आवंटित कर दिया गया था।

तथ्य यह रहा कि ₹7.63 करोड़ मूल्य के उपकरण तीन से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी निष्क्रिय पड़े रहे तथा नियोजित सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।

(ii) जीएफआर 2017 के नियम 21 के अनुसार, लोक धन से व्यय करने वाले या अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों के द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

भा.प्रौ.सं. इंदौर परिसर में खेल परिसर के दक्षिण की ओर एक फुटबॉल मैदान का निर्माण (जुलाई 2018) किया जाना था। फुटबॉल मैदान की साइट को इस तथ्य के बावजूद कि परिसर का उत्तरी भाग काली कपास मिट्टी से भरा था और निचले इलाके में स्थित था, खेल परिसर के उत्तर की ओर बदल[20] दिया गया था (जनवरी 2019)। भा.प्रौ.सं. इंदौर ने जलजमाव की संभावना को नजरअंदाज किया और जुलाई 2018 और मई 2019 में ठेकेदारों को काम दिया गया। इसके अलावा, अनुबंध सितंबर 2018 और जुलाई 2019 में समाप्त कर दिया गया था तथा ठेकेदारों को ₹92.15 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

यह पाया गया कि अनुबंधों के समाप्त होने के बाद, फुटबॉल का मैदान समतल नहीं था और पूरे फुटबॉल मैदान में झाड़ियाँ थीं। इस प्रकार, ₹92.15[21] लाख खर्च करने के बाद भी फुटबॉल का मैदान तैयार स्थिति में नहीं था।

[20] एथलेटिक ट्रैक को विकसित करने हेतु

[21] मैसर्स एन.एच ब्रदर्स को ₹17.57 लाख का भुगतान किया गया तथा मैसर्स जिब्बू कंस्ट्रकशंस को + ₹74.58 लाख का भुगतान किया गया

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि स्थान का निर्णय इसकी निकटता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जलभराव को रोकने के लिए भराव और विकास कार्य निष्पादित किया गया था क्योंकि यह मास्टर प्लान में दिखाए गए अभिविन्यास के अनुसार फुटबॉल मैदान के साथ-साथ एथलेटिक ट्रैक को बनाने के लिए आवश्यक था। फुटबॉल मैदान के विकास का शेष कार्य फरवरी 2021 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सलाहकारों को इस कार्य हेतु नियुक्त करने का काम शुरू कर दिया है।

तथ्य यह रहा कि ₹92.15 लाख का व्यय करने के बावजूद भी फुटबॉल के मैदान का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.4.5 भा.प्रौ.सं. जोधपुर

भा.प्रौ.सं. जोधपुर ने वर्ष 2009-10 से मुगनीराम बांगर मेमोरियल (एमबीएम) इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में एक अस्थायी परिसर से, भा.प्रौ.सं. कानपुर के संरक्षण में अपनी क्रियाकलापों की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने स्थायी परिसर के विकास के लिए वर्ष 2011 में जोधपुर के कारवाड़ में कुल 872 एकड़ भूमि आवंटित की थी। भा.प्रौ.सं. जोधपुर ने मार्च 2018 तक अपने शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों को पूर्ण रूप से अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित कर दिया है।

क) निर्माण कार्यों का निष्पादन

भा.प्रौ.सं. जोधपुर में पहले चरण का पूरा कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया था। ₹285.85 करोड़ की लागत से स्थायी परिसर के विकास का कार्य मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था। परंतु, यह पाया गया कि यह कार्य अगस्त 2018 तक 17 महीने की देरी से पूरा किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि स्तम्भ क्षेत्र में भिन्नता, अतिरिक्त कार्यों और संरचनाओं, नई मदों और नई तकनीक के प्रयोग के कारण कार्यों में देरी हुई थी।

तथ्य यह रहता है कि भा.प्रौ.सं. जोधपुर के छात्रों एवं स्टाफ को समय पर परिकल्पित सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।

ख) सृजित परिसंपत्ति का अभीष्ट उपयोग नहीं किया गया

एक संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि चरण-II के अंतर्गत स्तम्भ स्तर तक निर्मित एक स्विमिंग पूल (जल भवन) को ₹1.85 करोड़ के व्यय के बाद छोड़ दिया गया था। अक्टूबर 2017 में शुरु किया गया निर्माण कार्य, सितंबर 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जुलाई 2018) जिसमें यह कहा गया था कि अनुदान का उपयोग कुछ सुनिश्चित अवसंरचना जैसे कि स्विमिंग पूल के विकास के लिए नहीं किया जाना था, के अनुपालन में रोक दिया गया था।

शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त जवाब (सितंबर 2021) के अनुसार, भा.प्रौ.सं. जोधपुर ने जवाब दिया कि स्विमिंग पूल तैयार करने की योजना को छोड़ा नहीं जा रहा और जब भी भा.प्रौ.सं. अन्य स्रोतों से निधि जुटा पाता है, तो वह स्विमिंग पूल का अधूरा काम पूरा कर सकता है।

भा.प्रौ.सं. के जवाब को इस तथ्य के आलोक में पढ़ा जा सकता है कि मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2018) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि भा.प्रौ.सं. अन्य स्रोतों से धन (नकारात्मक सूची में कार्यों की श्रेणियों के लिए) जुटा सकता था। हालांकि, भा.प्रौ.सं. ने दिशानिर्देश (2018) जारी होने से पहले, किए गए व्यय के अनुसमर्थन के लिए मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। भा.प्रौ.सं. जोधपुर उस स्विमिंग पूल के कार्य को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2020 तक ₹1.85 करोड़ का पूरा खर्च निष्फल हो गया।

ग) अंडरपास का गैर-निर्माण

संस्थान का एक हिस्सा पार करके दूसरे हिस्से में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भा.प्रौ.सं. जोधपुर ने अपने पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को अंडरपास द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 65) से जोड़ने की योजना बनाई (फरवरी 2011)। सामान्य वास्तु चित्रकारी (जीएडी), डिजाइन तैयार करने का कार्य और जमा के रूप में ₹0.18 करोड़ की अनुमानित लागत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) एनएच, जोधपुर को भी दी गई (जनवरी 2016) थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अंडरपास का निर्माण प्रारंभ नहीं किया जा सका।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि डीपीआर, जीएडी, अनुमान और साध्यता प्रतिवेदन अक्टूबर 2019 में प्राप्त कर लिया गया है और निर्माण कार्य के लिए मांग आज तक पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं उठाई गई।

तथ्य यह रहा कि अंडरपास के निर्माण से परिसर के दो अलग-अलग हिस्सों के बीच सुरक्षित मार्ग आसान हो जाता और इसका निर्माण न करने के परिणामस्वरूप छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा लगातार खतरे में पड़ गई।

3.4.6 भा.प्रौ.सं. मंडी

भा.प्रौ.सं. मंडी ने वर्ष 2009-10 में भा.प्रौ.सं. रुड़की में अस्थायी परिसर से अपनी क्रियाकलापों की शुरुआत की और बाद में वर्ष 2010-11 से मंडी में सरकारी कॉलेज में एक अन्य पारगमन परिसर में स्थानांतरित कर दिया। भा.प्रौ.सं. मंडी अक्टूबर 2012 में कामंद, मंडी में अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित हो गया और स्थानांतरण प्रक्रिया अप्रैल 2015 तक पूरी हो गई थी।

क) भूमि की उपलब्धता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भा.प्रौ.सं. मंडी को 501 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसमें से 308 एकड़ वन भूमि थी, जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार का अनुमोदन लंबित था। शेष 193 एकड़ में से 19 एकड़ भूमि विवादित और न्यायाधीन थी। इस प्रकार, अवसंरचना के विकास के लिए भा.प्रौ.सं. के पास केवल 173 एकड़ (आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत) भूमि थी। आगे, भा.प्रौ.सं. को बिजली स्टेशनों और लाइनों को स्थानांतरित करने और परिसर से गुजरने वाली सड़कों पर पथांतरण बनाने के लिए ₹3.02 करोड़[22] का व्यय वहन करना पड़ा।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि वन भूमि के हस्तांतरण के लिए आवश्यक अनुमति फरवरी 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई थी और तद्नुसार राज्य सरकार ने 308 एकड़ भूमि भा.प्रौ.सं. को हस्तांतरित करने के आदेश (मार्च 2021) जारी किए थे।

तथापि, तथ्य यह रहा कि भा.प्रौ.सं. की स्थापना के 10 वर्ष बाद भी आवंटित भूमि का केवल 35 प्रतिशत भाग ही परिसर के विकास के लिए उपलब्ध था।

[22] पावर लाइंस/स्टेशन्स को स्थानांतरित करने हेतु ₹2.20 करोड़ तथा एक पथ के पथांतरण के लिए ₹0.82 करोड़

ख) कार्यों का निष्पादन

चरण-I के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य के.लो.नि.वि. और एनबीसीसी को सौंपे गए थे। चरण-I के अंतर्गत वर्ष 2014-19 के दौरान भा.प्रौ.सं. मंडी द्वारा करवाए गए 14 निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा ने जांच की। इनमें से 11 कार्यों को मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, इन 11 कार्यों में से छह कार्य (जैसे शैक्षणिक भवन, प्रयोगशाला भवन, मनोरंजन केंद्र आदि) जो अक्टूबर 2012 और अगस्त 2017 के मध्य पूर्ण किए जाने थे, वे अक्टूबर 2013 और फरवरी 2018 के मध्य दो माह तथा 26 माह के मध्य की देरी के साथ पूरे किए गए थे। दो प्रमुख निर्माण कार्य, (i) 'चरण-I उत्तर का निर्माण कार्य' अर्थात, शैक्षणिक भवन, अतिथि गृह, व्यायामशाला, अस्पताल और सभागार भवन और (ii) 'विभिन्न भवन' अर्थात, 22 छात्रावास ब्लॉक, 28 फैकल्टी हाउसिंग बिल्डिंग, डाइनिंग और क्लब हाउस को एनबीसीसी/के.लो.नि.वि. को सौंपा गया था। इन भवनों का निर्माण क्रमशः मई 2018 और अक्टूबर 2015 तक पूरा किया जाना था। तथापि, इन भवनों का निर्माण अभी तक पूरा (मार्च 2019) नहीं हुआ था और यह पाया गया कि इस कार्य में क्रमशः 10 माह और 41 माह की देरी हुई।

एक विशिष्ट मामले में, यह देखा गया कि शैक्षणिक और आवासीय परिसर (52 भवन) का निर्माण के.लो.नि.वि. को सौंपा गया था, जिसने इसके बदले में अक्टूबर 2015 तक काम पूरा करने की शर्त के साथ यह कार्य ₹179.48 करोड़ के निविदा मूल्य पर एक ठेकेदार को सौंप दिया। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि नवंबर 2020 तक 52 में से नौ भवनों का कार्य पूर्ण न होने के साथ-साथ परियोजना में पांच वर्ष की देरी भी हुई थी।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि मुश्किल मौसमी परिस्थितियों के साथ दूरस्थ स्थान, श्रमिकों की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता, स्थानीय बाजार में सामग्री और प्रशिक्षित श्रमिकों की अनुपलब्धता आदि के कारण, निष्पादन अभिकरणों द्वारा कार्यों को पूरा करने में धीमी गति रही/विलंब हुआ। विलम्ब के विशिष्ट मामले के संबंध में, यह जवाब दिया गया था कि के.लो.नि.वि. द्वारा मैसर्स एसआईएल (मूल ठेकेदार), को दिए गए (2013-14) 52 भवनों में से 42 इमारतों को वापस ले लिया गया था और के.लो.नि.वि. द्वारा आठ अलग-अलग ठेकेदारों को सौंप दिया गया और 10 इमारतें मैसर्स एसआईएल के पास ही थीं। केवल एक (बी11) को छोड़कर शेष सभी भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

तथ्य यह रहा कि परिसर के विकास में पांच साल की देरी हुई, जिसके कारण छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं को पूर्ण अवसंरचना के लाभों से वंचित होना पड़ा।

ग) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'सुगम्य भारत अभियान' शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को मिलने वाले भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं एवं खुली सेवाओं का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को भी समान आधार पर मिले।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 80 पूर्ण भवनों में से व्हीलचेयर के लिए रैंप और शौचालय की सुविधा केवल 32 भवनों में निर्मित की गई थी और आठ भवनों में एलिवेटर या लिफ्ट में ब्रेल सिग्नल और औडीटरी सिग्नल की सुविधा प्रदान की गई थी।

भा.प्रौ.सं. ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि सभी भवनों में रैंप प्रदान किए गए हैं। चार शैक्षणिक भवनों और तीन छात्रावास भवनों में व्हीलचेयर हेतु शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, ब्रेल सिग्नल और औडीटरी सिग्नल की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि निधि की उपलब्धता के अनुसार अन्य भवनों में ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

तथ्य यह रहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की सुगमता का प्रावधान न होने से इन उपयोगकर्ताओं को बहुत असुविधा होती है।

3.4.7 भा.प्रौ.सं. पटना

भा.प्रौ.सं. पटना ने वर्ष 2008-09 में पटना में नवीन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक अस्थायी परिसर से, भा.प्रौ.सं. गुवाहाटी की हितकामिता में अपनी क्रियाकलापों की शुरुआत की। बाद में, बिहार सरकार ने भा.प्रौ.सं. पटना को वर्ष 2011 के दौरान बिहटा, पटना में कुल 500.45 एकड़ भूमि आवंटित की। भा.प्रौ.सं. पटना जुलाई 2015 में अपने नए परिसर में स्थानांतरित हो गया।

क) कार्यों का निष्पादन

वर्ष 2014-19 के दौरान निष्पादित चरण-I के अंतर्गत सभी तीन कार्यों (के.लो.नि.वि., एनबीसीसी और ईआईएल को सौंपे गए) की लेखापरीक्षा की गई। इन तीन कार्यों में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, संकाय आवास, अस्पताल, स्कूल और कार्यशालायें शामिल हैं।

कार्यों को जून 2014 और दिसंबर 2017 के मध्य पूरा किया जाना निर्धारित था। दो कार्यों, अर्थात् शैक्षणिक भवन और आवासीय परिसर को पूरा करने में 18 माह से 22 माह (मार्च 2019 तक) के मध्य की देरी पायी गई। तीसरा कार्य जिसमें छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर आदि शामिल थे और जिसे दिसंबर 2017 तक पूरा किया जाना निर्धारित था, वह अभी भी 15 महीने की देरी (मार्च 2019 तक) से प्रगति पर था।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि एनबीसीसी को दिए गए कार्य, भूमि मुआवजे के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आंदोलन, सभी भवनों में आंतरिक ईंट कार्य विभाजन के लेआउट में परिवर्तन के कारण पूर्ण रूप से रुक गए, परिणामस्वरूप उपरोक्त कार्यों में देरी हुई थी। ईआईएल को सौंपे गए कार्यों में हुई देरी के कारण अभी तक ठेकेदार से प्राप्त नहीं हुए थे और इसलिए बीडब्ल्यूसी के अनुदेशों के अनुसार 10 प्रतिशत राशि रोक कर रखी गई थी।

तथ्य यह रहता है कि निर्माण में देरी के कारण छात्रों/कर्मचारियों को अवसंरचना उपलब्ध करवाने में भी विलम्ब हुआ।

3.4.8 भा.प्रौ.सं. रोपड़

भा.प्रौ.सं. रोपड़ ने अपनी क्रियाकलापों की शुरुआत भा.प्रौ.सं. दिल्ली की हितकामिता में पूर्ववत सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, रूपनगर के परिसर से की। बाद में, पंजाब सरकार ने स्थायी परिसर के विकास के लिए 501 एकड़ भूमि आवंटित (2009) की। भा.प्रौ.सं. ने जुलाई 2018 से अपनी क्रियाकलापों को स्थायी परिसर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। मार्च 2019 तक स्थायी परिसर में पूर्ण रूप से स्थानांतरण नहीं हुआ था।

क) भूमि की उपलब्धता

501 एकड़ जमीन भा.प्रौ.सं. को आवंटित की गई थी जिसमें से 20 एकड़ जमीन विवाद/मुकदमे के अधीन थी। अगस्त 2019 में, परिसर में बाढ़ आ गई। चारदीवारी का हिस्सा और कुछ उपकरण/फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए और भा.प्रौ.सं. रोपड़ को बाढ़ के के कारण ₹3.46 करोड़ का नुकसान हुआ। आगे, क्षतिग्रस्त वस्तुओं के प्रतिस्थापन का खर्च भा.प्रौ.सं. रोपड़ को वहन करना पड़ा।

भा.प्रौ.सं. रोपड़ ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2020) कि ऐसी घटनाओं से भा.प्रौ.सं. की सुरक्षा से संबंधित कार्यों का मुद्दा राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

ख) कार्यों का निष्पादन

जांचे गए 12 कार्यों में से 11 कार्य चरण-I के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित थे। सभी 11 कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपे गए थे। इन 11 कार्यों में से नौ कार्य, जिनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक, आवासीय और छात्रावास ब्लॉक आदि शामिल हैं और जिन्हें अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 के मध्य पूरा किया जाना था, 4 महीने से 39 महीने के मध्य की देरी से पूर्ण किए गए।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि ड्राइंग्स को अंतिम रूप देने में हुई देरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव के अतिरिक्त, ड्राइंग्स में परिवर्धन के कारण भी चरण-I के कार्य विलंब से पूरे हुए।

तथ्य यह रहा कि परिसर का कार्य पूर्ण होने में हुई देरी के कारण छात्र द्वारा परिसर का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका।

ग) निविदा और कार्यों का आवंटन

चरण-I ए के लिए, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी का ठेका मैसर्स सिक्का एसोसिएट्स (एसए) को दिया गया था और इस फर्म के साथ एक अनुबंध किया गया था। तदनुसार, परामर्शदाता द्वारा डिजाइन किए गए कार्यों के लिए, निविदा लागत या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के अनुसार भवनों और सेवाओं की परियोजना लागत की 1.80 प्रतिशत राशि का भुगतान करने की सहमति दी गई थी। भा.प्रौ.सं. ने चरण-I बी के लिए, समान निबंधनों और शर्तों पर, नई निविदायें मांगे बगैर, नामांकन के आधार पर एसए को परामर्श अनुबंध भी दे दिया (नवंबर 2015)। यह जीएफआर 2005 के नियम 163 से 176 में परिकल्पित चयन प्रक्रिया का उल्लंघन में था।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि दोनों कार्य एक मूल परियोजना के उपखण्ड हैं। केवल कार्य को सही ढ़ंग से निष्पादित करने के लिए तीन चरणों में विभाजित किया गया था क्योंकि प्रत्येक चरण में परियोजना के डिजाइनों में बहुत सारे बदलाव किए जाने थे।

भा.प्रौ.सं. का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि चरण-I बी के कार्य चरण-I ए के कार्यों का हिस्सा नहीं थे और चरण-I बी के कार्यों के लिए बीडब्ल्यूसी से, एक पृथक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसलिए, जीएफआर 2005 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक था।

3.5 उपकरणों का प्रापण

प्रत्येक भा.प्रौ.सं. की अपनी प्रापण नीति/नियम पुस्तिका होती है जिसमें खरीद प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों और शक्तियों के उचित प्रत्यायोजन का विवरण होता है। वर्ष 2014-19 की अवधि में भा.प्रौ.सं. द्वारा उपकरण और सेवाओं की खरीद की प्रक्रिया का परीक्षण, चयनित नमूना प्रकरणों के लिए किया गया था। अभिप्रेत उद्देश्यों (प्रशासनिक, शैक्षणिक और/अथवा अनुसंधान परियोजनाओं) पर उपकरणों के प्रापण, प्रतिस्थापन और निष्क्रिय होने में, देरी के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण किया गया था। ठीक उसी प्रकार से, इन भा.प्रौ.सं. द्वारा सेवाओं के प्रापण में अपनाई गई प्रक्रिया, और अनुबंधों में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के पालन की भी जांच की गई।

3.5.1 उपकरणों की आपूर्ति

समय-सारणी किसी भी अनुबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश (पीओ) में उल्लिखित निर्धारित तिथि के अंदर वस्तुओं की सुपुर्दगी करनी होती है।

उपकरण (चयनित नमूना) के प्रापण से संबंधित डेटा और उससे जुड़े अभिलेखों के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 340 नमूना मामलों में से, 106 में, 31-536 दिनों[23] के बीच उपकरण (अधिक मूल्य के उपकरण सहित[24]) की आपूर्ति में देरी हुई थी, जैसा कि नीचे ***तालिका 3.5*** में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

---

[23] वे मामले जहां विलंब बहुत कम अर्थात 30 दिन से कम था, को सम्मिलित नहीं किया गया।

[24] भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर ((₹1.87 करोड़), भा.प्रौ.सं. गांधीनगर (₹6.22 करोड़), भा.प्रौ.सं. हैदराबाद (₹4.97 करोड़), भा.प्रौ.सं. इंदौर (₹1.26 करोड़), भा.प्रौ.सं. जोधपुर (₹4.15 करोड़), भा.प्रौ.सं. मंडी (₹7.65 करोड़), भा.प्रौ.सं. पटना (₹17.49 करोड़), भा.प्रौ.सं. रोपड़ (₹7.14 करोड़)

तालिका 3.5: उपकरणों की आपूर्ति में हुए विलम्ब का विवरण

भा.प्रौ.सं.	प्रापण किए गए उपकरणों की संख्या*	मामलों की संख्या, जहां आपूर्ति में एक महीने से अधिक की देरी हुई	आपूर्ति में देरी की सीमा (दिनों में)
भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर	33	11	32-293
भा.प्रौ.सं. गांधीनगर	36	7	43-244
भा.प्रौ.सं. हैदराबाद	45	12	31-187
भा.प्रौ.सं. इंदौर	39	10	32-184
भा.प्रौ.सं. जोधपुर	40	10	33-455
भा.प्रौ.सं. मंडी	41	12	32-322
भा.प्रौ.सं. पटना	50	32	41-530
भा.प्रौ.सं. रोपड़	56	12	33-536
कुल योग	**340**	**106**	**31-536**

*34 मामलों[25] में सात भा.प्रौ.सं. द्वारा आपूर्ति की तिथि के संबंध में डाटा नहीं दिया गया।

उपकरण की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब होने के कारण प्रतिस्थापन एवं उपयोग के बाद वाले चरणों में देरी हुई। परिणामस्वरूप, संकाय और छात्रों को इन संसाधनों की सुविधा नहीं मिल सकी जिसकी वजह से प्रापण का अभिप्रेत उद्देश्य सफल नहीं हुआ। आपूर्ति में हुई देरी के, भा.प्रौ.सं.-वार विशिष्ट मामले और उपकरणों के संस्थापन/प्रवर्तन में परिणामस्वरूप हुई देरी का वर्णन बाद वाले पैराओं में किया गया है।

3.5.2 उपकरणों का प्रवर्तन/संस्थापन

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि तीन भा.प्रौ.सं. में उपकरणों की सुपुर्दगी के बाद उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब हुआ था।

3.5.2.1 भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर

(i) प्रयोगशाला के निर्माण में विलम्ब के कारण उपकरणों के संस्थापन में विलम्ब हुआ

भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर ने स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेस की केंद्रीय कार्यशाला में उपयोग के लिए "स्लाइडिंग सरफेस और स्क्रू कटिंग के सभी गियर वाले हेड लेथ" के साथ एक्सेसरीज सहित (एक मीडियम और एक हैवी ड्यूटी) खरीद के लिए एक क्रय आदेश (मार्च 2015) जारी किया। सुपुर्दगी आठ महीने के भीतर (नवंबर 2015 तक) की जानी थी। यह देखा गया कि मीडियम ड्यूटी मशीन के लिए सुपुर्दगी की तारीख दिसंबर 2015 तक और हेवी-ड्यूटी मशीन के लिए जनवरी 2016 तक बढ़ा दी गई थी। लेखापरीक्षा

[25] भा.प्रौ.सं. गांधीनगर (5 मामले), भा.प्रौ.सं. हैदराबाद (8 मामले), भा.प्रौ.सं. इंदौर (1 मामला), भा.प्रौ.सं. जोधपुर (7 मामले), भा.प्रौ.सं. पटना (9 मामले), भा.प्रौ.सं. रोपड़ (4 मामले)

द्वारा यह देखा गया कि इन दोनों मशीनों की सुपुर्दगी जनवरी/मार्च 2016 में की गई थी। इसके आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीनों का संस्थापन जुलाई/जून 2017 में निर्धारित सुपुदर्गी की तारीख से 19/15 महीने से अधिक के अंतराल के किया गया था, हालांकि उपकरणों का प्रापण अत्यावश्यक आधार पर किया गया था। अभिलेखों की जांच के दौरान पता चला कि साइट की अनुपलब्धता और मशीन को लगाने के लिए एकसमान फर्श न होने के कारण विलम्ब हुआ था।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि कार्यशाला भवन का कार्य पूर्ण न होने और के.लो.नि.वि. द्वारा समय पर साइट को न सौंपने के कारण विलंब हुआ था।

इस प्रकार, उपकरण की सुपुर्दगी में विलम्ब के साथ, संस्थापन में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप, उसके प्रापण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। चूंकि प्रापण अत्यावश्यक आधार पर किया गया था, इसलिए, यह विलंब, भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर द्वारा प्रापण प्रक्रिया के अप्रभावी निरीक्षण, नियंत्रण और समन्वय को भी दर्शाता है।

(ii) उपकरणों का प्रतिस्थापन न होना

स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूजी/पीजी छात्रों की प्रयोगशाला और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरण (टू लीनियर एक्ट्यूएटर) की खरीद के लिए एक क्रय आदेश दिया था (31 मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि उपकरण के प्रतिस्थापन और संचालन के लिए आवश्यक कुछ सहायक उपकरण की अनुपलब्धता और साइट की अनुपलब्धता के कारण सुपुर्दगी की तारीख (21 अप्रैल 2016) से डेढ़ साल बाद उपकरण प्रतिस्थापित किया गया था (17 अक्टूबर 2017)।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि सहायक उपकरण की आवश्यकता आकस्मिक थी और उपकरण की पैकिंग खोलने से पहले ज्ञात नहीं थी।

आवश्यक उपसाधनों का उचित मूल्यांकन और उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण उपकरणों की स्थापना में विलंब होने के परिणामस्वरूप छात्रों की प्रयोगशाला/अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया और इस प्रकार उनके सीखने की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

3.5.2.2 भा.प्रौ.सं. हैदराबाद

उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब पांच मामलों अर्थात हाई सेंसिटिव वाईब्रेटिंग सैम्पल मैग्नेटोमीटर (भौतिकी विभाग में), हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्स-रे डिफ्रैक्शन सिस्टम (सामग्री विज्ञान और धातुविज्ञान अभियांत्रिकी विभाग में), रोटरी साइक्लिक ट्रिआक्सीयल अपेरेटस (सिविल अभियांत्रिकी विभाग में) और असेसरीज के साथ सिग्नल जेनरेटर (विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में) में देखा गया जो कि अनुसंधान और प्रयोगशाला क्रियाकलापों के लिए आवश्यक थे। उपकरणों को चालू करने/उपयोग करने में 90 से 475 दिनों का विलम्ब हुआ।

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि अधिकांश मामलों में विलम्ब नाममात्र का था और एक्स-रे डिफ्रैक्शन सिस्टम के मामले में विलम्ब परिसर के स्थानांतरण के कारण हुआ था।

तथापि, तथ्य यह रहा कि इस विलम्ब ने छात्रों के साथ-साथ संकाय के लिए वांछित सुविधा/संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित किया और भा.प्रौ.सं. हैदराबाद अपने छात्रों को इन प्रशिक्षण सहायक उपकरणों का लाभ प्रदान करने में विफल रहा।

3.5.2.3 भा.प्रौ.सं. इंदौर

उपकरण के प्रापण से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि पांच विभागों में उपकरण की 19 मदों के प्रतिस्थापन में 3 से 125 सप्ताह तक की देरी थी जैसा कि निम्न ***तालिका 3.6*** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, उन पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र जिन्हें प्रयोगशालाओं का उपयोग करना था, उन्हें इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सका।

तालिका 3.6: विभाग और उपकरण जहां प्रतिस्थापन में देरी हुई

विभाग का नाम	**उपकरण का नाम**
बायो साइंस तथा बायो इंजीनियरिंग	इनवर्टेड माइक्रोस्कोप, इमेज क्वांट एलएएस 400, बेंच टॉप हाई स्पीड सेल सॉर्टर और हाई-स्पीड फ्लो साइटोमीटर
मकैनिकल इंजीनियरिंग	मेटलिक बेल्ट डेपोजीशन यूनिट
सिविल इंजीनियरिंग	यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हाइड्रोलॉजी सिस्टम, फ्रीज थॉ कैबिनेट, सर्वर (मास्टर नोड आई यू एंड कंप्यूट नोड) एंड फटीग टेस्टिंग मशीन
मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मैटीरियल साइंस	हाई टेम्परेचर फर्नेस, वैक्यूम डिफ्यूजन बॉन्डिंग यूनिट, इनवर्टेड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एलएएमबीडीए 750 यूवी इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हाई टेम्परेचर वियर टेस्टिंग मशीन, सोलर सेल सिम्युलेटर, कॉन्टैक्ट एंगल मेजरमेंट सिस्टम, वैक्यूम आर्क मेल्टिंग कम सक्शन कास्टिंग यूनिट एंड मास्टर नोड्स
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट	रिसर्च स्पेक्ट्रोमीटर

शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया (सितंबर 2021) कि साइट की तैयारी और निर्माण कार्य तथा जगह की अनुपलब्धता के कारण उपकरण के प्रतिस्थापन में देरी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि भा.प्रौ.सं. ने साइट की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयोगकर्ता विभागों को सलाह जारी की गई है।

इस प्रकार, पर्याप्त अवधि में, प्रतिस्थापन में हुई देरी ने छात्रों और शिक्षकों को, प्रापण के वांछित लाभों से वंचित कर दिया। उपरोक्त तथ्य, समय पर पूर्व-आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भा.प्रौ.सं. की अप्रभावी निगरानी को भी दर्शाता है।

3.5.3 प्रयोगशाला सुविधाओं में कमी

प्रयोगशालाएं किसी अभियान्त्रिकी संस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि ये प्रयोगशालाएँ सिद्धांतों के परीक्षण के लिए साधन प्रदान करतीं हैं और विभिन्न अवधारणाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करतीं हैं। मंत्रालय ने अपने डीपीआर में परिकल्पना की है कि भा.प्रौ.सं. को प्रयोगशाला उपकरणों के साथ-साथ कंप्यूटर उपकरण की भी आवश्यकता होती है और ऐसे उपकरणों की सूची, भा.प्रौ.सं. के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ भा.प्रौ.सं. के संकाय द्वारा विकसित किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम पर

आधारित होगी। यह अपेक्षा की गई थी कि सभी प्रयोगशालाओं और भवनों को आठ वर्षों की अवधि में पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा, चार भा.प्रौ.सं. के संबंध में प्रयोगशाला सुविधाओं की उपलब्धता में कमी पायी गई, जिसका विवरण नीचे *तालिका 3.7* में दिया गया है:

तालिका 3.7: भा.प्रौ.सं. में प्रयोगशाला सुविधाओं में कमी

भा.प्रौ.सं. का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
भा.प्रौ.सं. गांधीनगर	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईईलैब 1 और लैब 2) एमएसई (इंटरफेस लैब), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एनर्जी सिस्टम्स/ रिसर्च लैब) और रसायन विज्ञान विभाग (ऑर्गेनिक एंड केमिकल बायोलॉजिकल लैब और इनऑर्गेनिक लैब) में छः प्रयोगशालाओं में न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की कमी देखी गई। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, भा.प्रौ.सं. गांधीनगर ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि संस्थान ने बाद में उपकरणों की उपलब्धता में कमी को दूर कर लिया है और वर्तमान में उपकरणों की कोई कमी नहीं है।
भा.प्रौ.सं. हैदराबाद	प्रस्तुत आंकड़ों (चौदह विभागों में से सात के संबंध में) से लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 (898 छात्र) से वर्ष 2018-19 (1472 छात्र) तक प्रयोगशालाओं की सेवा/पूर्ति क्षमता में लगभग 64 प्रतिशत की सार्थक वृद्धि हुई। हालांकि, प्रयोगशालाओं की सेवा/पूर्ति क्षमता (261 छात्र) में 15 प्रतिशत की कमी अभी भी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के अंत तक मौजूद थी। जवाब में, भा.प्रौ.सं. ने उत्तर दिया (नवंबर 2020) कि उपलब्ध स्थान को उनके आकार के आधार पर तीन अलग-अलग शैक्षणिक खंडों में सभी विभागों के साथ साझा किया गया था और दूसरा चरण पूरा होने के पश्चात विभागों (व्यक्तिगत खंडों) को अधिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
भा.प्रौ.सं. जोधपुर	रसायन विज्ञान विभाग में 12 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता की तुलना में केवल आठ प्रयोगशालाएं उपलब्ध थीं और भा.प्रौ.सं. जोधपुर में 22 प्रयोगशालाओं में 424 उपकरणों की आवश्यकता के प्रति 137 उपकरण कम पाए गए। भा.प्रौ.सं. जोधपुर ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि भा.प्रौ.सं. ने छात्रों के एक छोटे बैच को रखकर अतिरिक्त समय स्लॉट लगाकर एक दिन में कई शिफ्ट चलाकर स्थिति को सम्भाला। उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह देखा जा सकता है कि अतिरिक्त घंटों के दौरान छात्रों को इन प्रयोगशाला सुविधाओं का लाभ उठाने में असुविधा हुई होगी।
भा.प्रौ.सं. पटना	लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 विभागों के 65 प्रयोगशालाओं में से 33 में उपकरणों की उपलब्धता में कमी थी। भा.प्रौ.सं. पटना ने जवाब दिया (सितम्बर 2021) कि मंत्रालय द्वारा किए गए अनुदानों के अपर्याप्त आवंटन ने सभी विभागों में प्रयोगशालाओं के विकास में बाधा उत्पन्न की।

इस प्रकार, अवसंरचना स्थापना के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी भा.प्रौ.सं. में सृजित प्रयोगशाला छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं थी।

शिक्षा मंत्रालय ने प्रयोगशाला सुविधाओं में कमी के संबंध में विशेष रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी (सितंबर 2021)।